महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

दूरभाष:0151 -2970177 **ई :मेल**-registrar@mgsubikaner.ac.in

प.07(170)मगंसिविबी/प्रबन्ध बोर्ड बैठक-43/2024/ ५५१६ दिनांक : ९/७/२४

1. आचार्य मनोज दीक्षित, माननीय अध्यक्ष- प्रबन्ध बोर्ड,महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय,बीकानेर।
2. श्री ताराचंद सारस्वत, माननीय विधायक-श्रीडूंगरगढ़, बी-15, समता नगर, बीकानेर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर।
6. संभागीय आयुक्त, बीकानेर, प्रतिनिधि, अति.मुख्य सचिव, वित्त, राजस्थान सरकार,जयपुर।
7. श्री वरूण यादव, A-256, Paramount Golf Foreste Villa, Sector Zeta 2, UPSIDC Site C, Greater Noida (U.P.) 201306
8. डॉ. विश्वपति त्रिवेदी, सेवानिवृत आई.ए.एस.7, स्प्रींग लेन, वाया ग्रीन एवेन्यु, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070
9. प्रो.अनिल कुमार छंगाणी, आचार्य, पर्यावरण विज्ञान,महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
10. प्रो. राजाराम चोयल, आचार्य, पर्यावरण विज्ञान, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
11. डॉ. इन्द्र सिंह राजपुरोहित, संकायाध्यक्ष-कला, प्राचार्य, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर।
12. डॉ. इन्द्रा गोस्वामी, संकायाध्यक्ष-सामाजिक विज्ञान, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय, बीकानेर।

विषय :- प्रबन्ध बोर्ड की 43 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण अंतिम रूप से जारी करने बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 29-06-2024 (शनिवार) को प्रातः 11:30 बजे आयोजित प्रबन्ध बोर्ड की 43 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण 3734-45 दिनांक 29-06-2024 के द्वारा प्रेषित कर सात दिवस में आपत्ति आमंत्रित की गई थी। उक्त अवधि में किसी भी माननीय सदस्य से कार्यवाही विवरण में अंकित निर्णयों में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। अतः अंतिम रूप से कार्यवाही विवरण जारी किया कर संलग्न प्रस्तुत है।

संलग्न : कार्यवाही विवरण।

भवदीय

(अरविन्द बिश्नोई)
सदस्य सचिव

mycomp/E/Sl/doex5

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

दूरभाष: 0151-2970177 **ई-मेल:** registrar@mgsubikaner.ac.in

प.07( )मगंसिविबी/प्रबन्ध बोर्ड-43/2024/ दिनांक

प्रबन्ध बोर्ड की 43 वीं बैठक
कार्यवृत्त (Minutes)

प्रबन्ध बोर्ड की 43वीं बैठक दिनांक 29 जून, 2024 को प्रातः 11:30 बजे प्रबन्ध बोर्ड सभागार, महर्षि शौनक भवन (कुलपति सचिवालय) में माननीय कुलपति आचार्य मनोज दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

1	**आचार्य मनोज दीक्षित** महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	अध्यक्ष
2	**श्री ताराचंद सारस्वत** माननीय विधायक-श्रीडूंगरगढ	सदस्य
3	**डॉ. विश्वपति त्रिवेदी** माननीय कुलाधिपति द्वारा मनोनीत शिक्षाविद्	सदस्य (ऑनलाइन माध्यम से)
4	**श्री वरूण यादव** माननीय कुलाधिपति द्वारा मनोनीत शिक्षाविद्	सदस्य (ऑनलाइन माध्यम से)
5	**डॉ. अनुज सक्सेना, संयुक्त सचिव,** उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग प्रतिनिधि, शासन सचिव, उच्च शिक्षा राज. सरकार, जयपुर	सदस्य (ऑनलाइन माध्यम से)
6	**प्रो. इन्द्र सिंह राजपुरोहित** कुलपति महोदय द्वारा मनोनीत संकायाध्यक्ष	सदस्य
7	**प्रो0 इन्द्रा गोस्वामी** कुलपति महोदय द्वारा मनोनीत संकायाध्यक्ष	सदस्य
8	**प्रो0 अनिल कुमार छंगाणी** कुलपति महोदय द्वारा मनोनीत आचार्य	सदस्य (ऑनलाइन माध्यम से)
9	**श्री हरि सिंह मीना** **कुलसचिव**	सदस्य सचिव
10	**श्री अरविन्द बिश्नोई** **वित्त नियंत्रक**	विशेष आमंत्रित

बैठक के प्रारम्भ में प्रबन्ध बोर्ड की 43 वीं बैठक में उपस्थित एवं ऑनलाइन माध्यम से जुडे सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया गया। विशेषकर विश्वविद्यालय प्रबन्ध बोर्ड में नव मनोनीत सदस्य श्री ताराचंद सारस्वत, माननीय विधायक-श्रीडूंगरगढ का हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन किया गया।

तत्पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रबन्ध बोर्ड की बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

मद संख्या	विवरण	अनुभाग/ विभाग
541	दिनांक 27-09-2023 को आयोजित प्रबन्ध बोर्ड की 42 वीं बैठक के कार्यवृत पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (ATR) के अनुमोदन का प्रस्ताव।	
निर्णय	**पालना रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया।**	

542	दिनांक 12-03-2024 को प्रबन्ध बोर्ड की विशेष बैठक के कार्यवृत पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (ATR) के अनुमोदन का प्रस्ताव।	
निर्णय	**पालना रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया।**	
543	दिनांक 20-05-2024 को प्रबन्ध बोर्ड की विशेष बैठक के कार्यवृत पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (ATR) के अनुमोदन का प्रस्ताव।	
निर्णय	**पालना रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया।**	
544	प्रतिवेदित है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) विनियम, 2022 को विश्वविद्यालय शोध अध्यादेश 101 के प्रावधान संख्या 16.4 की पालना में तथा राज्य सरकार के पत्रांक प.1(6)/शिक्षा–4/2010 पार्ट जयपुर दिनांक 29.11.2022 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में विद्या परिषद की 22वीं बैठक दिनांक 21.08.2023 के विनिर्णय संख्या 15 की पालना में माननीय कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 की धारा 12(6) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदन की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय शोध अध्यादेश–101 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच.डी. उपाधि करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) विनियम, 2022 को सम्मिलित करना अधिसूचित किया गया है। पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।	
निर्णय	**आदेश की पुष्टि की गई।**	शोध
545	विश्वविद्यालय में ग्रेड-पे रु. 3600/- या इससे कम ग्रेड-पे के मंत्रालयिक सेवाओं के पदों को राज्य सरकार के नियत प्रावधानों के अनुसार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के माध्यम से भर्त्ती करवाये जाने के लिए पूर्व में लिए गए निर्णय पर पुनर्विचार हेतु प्रस्ताव।	
निर्णय	**प्रबन्ध बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर पुनर्विचार करते हुए विश्वविद्यालय में ग्रेड-पे रु. 3600/- या इससे कम ग्रेड-पे के मंत्रालयिक सेवाओं के पदों को राजकीय कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से भर्त्ती प्रक्रिया करवाने हेतु सहमति प्रदान करते हुए प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग के माध्यम से प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।**	संस्थापन
546	विश्वविद्यालय में स्वीकृत एकाकी पदों को चिन्हित करते हुए उक्त पदों पर पदोन्नति के अवसर सृजित करने हेतु एकल पदों के पदनाम निर्धारित करने के लिए गठित समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा के अनुमोदन का प्रस्ताव।	
निर्णय	**समिति की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।**	संस्थापन
547	प्रतिवेदित है कि प्रबन्ध बोर्ड के विनिर्णय संख्या 495 की पालना में विश्वविद्यालय में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत शैक्षणिक विभागों में रिक्त 60 पदों पर भर्त्ती हेतु चयन के लिए विज्ञापन क्रमांक F03(01)T.Rec.)MGSU/Estt./2023/28277 Dated 02-02-2023 जारी किया गया था। तत्पश्चात् विधानसभा चुनाव आचार सहिता एवं अन्य कारणों से उपरोक्त आवेदन पर कार्यवाही नही होने के कारण विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व विज्ञापन की निरन्तरता	

	में क्रमांक F03(01)T.Rec.)MGSU/Estt./2024/ 20036 Dated 26-02-2024 के द्वारा पुनः विज्ञापन जारी किया गया। उक्त जारी विज्ञापन पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।	
निर्णय	**आदेश की पुष्टि की गई।**	संस्थापन
548	वर्तमान में विश्वविद्यालय में माननीय कुलपति, कुलसचिव, वित्त नियंत्रक, अतिरिक्त कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक एवं सम्पदा अधिकारी को वाहन सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। उप कुलसचिव डॉ. गिरिराज हर्ष एवं डॉ. प्रकाश सारण ने आवास से विश्वविद्यालय तक आने-जाने एवं विश्वविद्यालय कार्यो हेतु वाहन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत कर प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष प्रकरण को रखने हेतु निवेदन किया है। प्रकरण के परीक्षण हेतु माननीय कुलपति महोदय द्वारा वित्त नियंत्रक महोदय से टिप्पणी चाही गई थी। वित्त नियंत्रक महोदय द्वारा प्रबन्ध बोर्ड की 41 वीं बैठक के बिन्दु संख्या 525 में अतिरिक्त कुलसचिव को वाहन सुविधा उपलब्ध कराने के निर्णय को अस्पष्ट माना है। साथ ही उप कुलसचिव को वाहन सुविधा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर टिप्पणी करते हुए उल्लेख किया है कि यह सीधे-सीधे वित्तीय भार की श्रेणी में आता है। ऐसी सुविधा जिसमें विश्वविद्यालय पर वित्तीय भार पड़े एवं जिसका नियमों में कोई प्रावधान ना हो, साथ ही जिसके लिए राज्य सरकार की स्वीकृति ना हो, रखा जाना उचित नही है। अतः उप कुलसचिव को वाहन सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संदर्भ में वित्त नियंत्रक महोदय की टिप्पणी सहित प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	
निर्णय	**प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए वर्तमान में विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जा रही वाहन सुविधा के संदर्भ में पुनः परीक्षण करते हुए पूल व्यवस्था के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर अंतिम निर्णय हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।**	पूल
पूरक मद		
549	विद्या परिषद् की 23 वीं बैठक दिनांक 26-06-2024 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव।	
निर्णय	**विद्या परिषद के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।**	शैक्षणिक
550	वित्त समिति की बैठक दिनांक 26-06-2024 में अनुशंसित विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 के वास्तविक बजट प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	
निर्णय	**वित्त समिति द्वारा अनुशंसित विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 के वास्तविक बजट का अनुमोदन किया गया।**	लेखा
551	राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01-01-2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के क्रम में विश्वविद्यालय प्रबन्ध बोर्ड की 39 वीं बैठक दिनांक 01-01-2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया गया था जिसकी अनुपालना में विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 22095 दिनांक 23-11-2022 जारी किया गया। उक्त आदेश के द्वारा विश्वविद्यालय कार्मिकों के वेतन से ई.पी.एफ. कटौती कर उक्त राशि को विश्वविद्यालय के ई.पी.एफ. खाते में जमा कराया जा रहा है। इस	

	संबंध में विश्वविद्यालय कार्मिकों/सेवानिवृत कार्मिकों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जीपीएफ सैब की ब्याज दर के अनुसार कार्मिकों के स्वयं के अंशदान की राशि पर ब्याज की गणना कर कार्मिकों को ई.पी.एफ. मय ब्याज राशि का भुगतान उनके संबंधित जीपीएफ सैब खाते में किया जाने हेतु प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	
निर्णय	**प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए वित्त नियंत्रक की राय के अनुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।**	लेखा
552	विश्वविद्यालय खेलबार्ड की अनुशंसा पर विश्वविद्यालय प्रबन्ध बोर्ड के विनिर्णय संख्या 531 की पालना में विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 1690 दिनांक 04-05-2024 के द्वारा परिसर में स्थिति इण्डोर स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स में उपलब्ध खेल सुविधाओं एवं श्री राजीव गांधी साईक्लिंग वेलोड्रम को बाहय सदस्य/संस्थाओं द्वारा उपयोग में लेने पर शुल्क का निर्धारण किया गया था। उक्त आदेश में निम्नानुसार संशोधन करने हेतु प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है :-	

क्र.सं.	उपयोग में ली जाने वाली सुविधा का विवरण	पूर्व में निर्धारित शुल्क (बाहय व्यक्ति)	प्रस्तावित शुल्क (बाहय व्यक्ति)
1	Multipurpose Air Conditioned Indoor Stadium के मुख्य खेल मैदान (Main Playing Area)	रू. 500/– प्रतिमाह (मैदान किराया)	1.रू. 3,000/प्रतिमाह (मैदान किराया) प्रति सत्र 2. रू. 200/प्रतिदिन प्रति सत्र
2	Table Tennis Hall	रू. 500/– प्रतिमाह (मैदान किराया)	1. रू. 2500/प्रतिमाह (मैदान किराया) प्रति सत्र 2. रू. 150/प्रतिदिन प्रति सत्र
3	Gymnasium Hall	रू. 500/– प्रतिमाह (मैदान किराया)	1.रू. 4000/प्रतिमाह (मैदान किराया) प्रति सत्र 2. रू. 300/प्रतिदिन प्रति सत्र

निर्णय	**अनुमोदन किया गया।**	खेलकूद
माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से		
1	विश्वविद्यालय में केरियर एवं प्लेसमेन्ट सेल के माध्यम से विद्यार्थियों को स्वरोजगार के प्रति जागरूक करने एवं विद्यार्थियों को प्लेसमेन्ट एजेन्सी के माध्यम से रोजगार के लिए प्रेरित करने हेतु एक विशेषज्ञ काउन्सलर की सेवाएं लिये जाने का निर्णय लिया गया। यदि ऐसी सेवाएं अतिथि शिक्षक के माध्यम से ली जाती है तो अतिथि शिक्षक के लिए निर्धारित प्रति कालांश के समान मानदेय का भुगतान किया जाए।	प्रभारी, प्लेसमेन्ट सेल

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

(अरविन्द बिश्नोई)
सदस्य सचिव